



189
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या :

364 /NGT-78/24

दिनांक : 5/7/24

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in


Sub: Status report of on behalf of UPPCB, Greater Noida in compliance of the order dated 02.04.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 329 of 2024 (I.A. 128/2024) Rajendra Tyagi Versus Union of India & Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated 02.04.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 329 of 2024 (I.A. 128/2024) Rajendra Tyagi Versus Union of India & Ors, in compliance to the order passed on dated 02.04.2024 by Hon'ble Tribunal's, Site inspection of concerned villages/project in question was carried out by the Officers of UPPCB, Greater Noida. Status report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Enclosure- As above

Yours Sincerely


05/07/2024

(Deo Kumar Gupta)
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble NGT, New Delhi for kind persual and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.


05/07/2024
Regional Officer

2

✓

Status Report

In

Original Application No. 329/2024

(IA No. 128/2024)

Rajendra Tyagi

Versus

Union of India & Ors

Order Date – 02.04.2024

Filed on Behalf of:

U. P. Pollution Control Board, Greater Noida

1. Background

Hon'ble National Green Tribunal passed order on 02.04.2024 in O.A. No. 329/2024 in the matter of Rajendra Tyagi Vs Union of India & Ors and relevant paras of the Order dated 02.04.2024 are reproduced below: -

"...In this original application, Applicant has raised a grievance that unauthorized and illegal construction of houses, shops and other commercial establishments on large scale is in progress in Greater Noida and Noida in violation of environmental norm. Since many of these illegal constructions are being done with top soil, the act is causing large scale illegal mining of top soil in and around the villages, resulting in deep, catastrophic pits which are giving rise to a vicious cycle. It is the allegation of the Applicant that these constructions are being done without obtaining mandatory Consent to Establish and Operate under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). It is also alleged that these illegal constructions/colonies are being developed without having any sewerage network in place and without having Consent to Establish and Operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and without NOC to draw water from tube wells. In the OA, Applicant had given the details of places where such constructions are in progress as under:

"xxxxxx.....xxx

3. That several dozen private unscrupulous, fly-by-night builders, property dealers and land mafia are illegally plotting, developing unauthorized and illegal colonies/townships/villas/shops and constructing apartments/flats on a massive scale in several villages of Greater Noida, including, but not limited to Sadullapur, Accheja, Dhoom Manikpur, Jaan Samana, Roja Jalalpur, Roja Yakubpur, Khairpur Gurjar, Vaidpura, Saini, Sunpura, KheriBhanauta, Milak Lacchi, Patwadi, Bisrakh, Khera Dharampura, Chhapraula, Dujana, Chitehera, KheraDharampura, Chipyana, Jalpura, Kulesra, Roja Yakubpur, Shahberi, Itehera, Haibatpur, Habeebpur, Satyana, Khera Chauganpur, Girdharpur, Deri Skanar, Deri Maccha, Badalpur, Bambawad, Mahawad, Surajpur, Dewla, Roopvaas, Shyorajpur, Makoda, Tilapta, Ropvaas, Bodaki, Bil-Akbarpur, Ghori Bacchera, Deri Maccha, Khodna Kurd, Aamka, Lakhnaavli, Birondi,

Bironda, Dhadha, Daabra, Ajayabpur and Dadri villages of Greater Noida. The lands on which such illegal and unauthorized constructions are being carried out are highly fertile arable farmlands, on which agriculture/farming has been traditionally practiced by the locals. More than 20000 ha of land is usurped by private builders/colonizers/real estate agents/property dealers for carrying out illegal and unauthorized constructions, in Greater Noida alone.

(Geo-tagged photographs showing the expanse and extent of illegal and unauthorized constructions carried out in villages of Greater Noida and Noida are annexed herewith and marked as ANNEXURE A-1).

4. That M/s Ghaziabad Developers & Builders, Bhagwati Developers as well as other Project Proponents are constructing/developing Dwarka City Colony (on the erstwhile Plot of Samtel Colour Picture Tubes, in Chhapraula village, along GT. Road, in Greater Noida, Gautam Buddh Nagar), Samtel Enclave (on the erstwhile Plot of Samtel Colour Picture Tubes, in Chhapraula village, along GT. Road, in Greater Noida, Gautam Buddh Nagar) and Sahara Enclave/City (on G.T. Road).
5. That illegal and unauthorized constructions are also being carried out in villages under Noida, including, but not limited to Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhandi, Parthla Khanjarpur, Behlolpur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Gaon, Shahdara, Iahabaas, Bhangel, Momnathalpur, Tilwara, Kondli and Badauli. More than 15000 ha of land is usurped by private builders/colonizers/real estate agents/property dealers for carrying out illegal and unauthorized constructions, in Noida."
2. Learned Counsel appearing for the Applicant, during the course of argument, has referred to Annexure A-3, the response given by UPPCB disclosing that no information as per office record is available in respect of these developers/developments. He has also referred to the photographs which are enclosed as Annexure A-1 (page 36 onward) and has submitted that these are all illegal constructions without requisite permission under the environmental laws.
3. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

4. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. List on 08.07.2024.....”

A. Action taken by UPPCB Greater Noida:

- In compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 02.04.2024, site inspection was carried out by officers of UPPCB, Greater Noida of M/s Ghaziabad Developers & Builders, Bhagwati Developers (Dwarka City Colony/Samtel Colour Picture Tubes) in Chhapraula village and M/s Sahara Enclave/City along GT. Road in Greater Noida, Gautam Buddh Nagar.
- As per office record, Projects (M/s Ghaziabad Developers & Builders, Bhagwati Developers and M/s Sahara Enclave/City have not obtained CTE from State Board. During inspection, it was found that both project is involve in construction activity without obtaining CTE from State Board.
- In view of above shortcomings observed by Regional Office, UPPCB, Greater Noida issued notice to the said project (M/s Ghaziabad Developers & Builders, Bhagwati Developers and Sahara Enclave/City) vide letter dated 04.07.2024, copy of same is annexed as **(Annexure-1.)**
- Further in compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 02.04.2024, officers of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Greater Noida have conducted site visits of 47 villages of Greater Noida region namely Sadullapur, Accheja, Dhoom Manikpur, Jaan Samana, Roja Jalalpur, Roja Yakubpur, Khairpur Gurjar, Vaidpura, Saini, Sunpura, KheriBhanauta, Milak Lacchi, Patwadi, Bisrakh, Khera Dharampura, Chhapraula, Dujana, Chitehera, KheraDharampura, Chipyana, Jalpura, Kulesra, Roja Yakubpur, Shahberi, Itehera, Haibatpur, Habeebpur, Satyana, Khera Chauganpur, Girdharpur, Deri Skanar, Deri Maccha, Badalpur, Bambawad, Mahawad, Surajpur, Dewla, Roopvaas, Shyorajpur, Makoda, Tilapta, Ropvaas, Bodaki, Bil-Akbarpur, Ghori Bacchera, Deri Maccha, Khodna Kurd, Aamka, Lakhnaavli, Birondi, Bironda, Dhadha, Daabra, Ajayabpur and Tilwara of Greater Noida between dated 24.06.2024 and 04.07.2024.

- It has been observed during site inspection of above-mentioned villages that few shops, individual residences and three to four storied builder floors are under construction, however, no development by individual developers/colonizers by means of plotting was observed in that area except 03 project namely (1) M/s Trilok puram greens(Promoter-M/s Analox town planner Pvt Ltd), Village-Gulistanpur in front of village Devla, Greater Noida (2) M/s PP Estate (Promoter- Purusottam estate), Village-Dhoom manikpur GT road, Greater Noida and (3) M/s Escon pride villa (Promoter- M/s Escon infra Ltd), Village- Birondi, Sector Pi-1&2, Greater Noida. Interaction with local residents/villagers was also done in this regard during said inspection and they also denied of any such activity in above villages except above 03 projects. In view of above shortcomings observed by Regional Office, UPPCB, Greater Noida issued notice to 03 projects vide letter dated 04.07.2024, copy of same is annexed as **(Annexure-2.)**
- In view of above site inspections of villages by Regional Office, UPPCB, Greater Noida has sent a summary and copy of inspection report to Greater Noida Industrial Development Authority Greater Noida for necessary action, copy of same is annexed as **(Annexure-3.)**
- It is pertinent to inform you that State Pollution Control Board has adopted Central Pollution Control Board's categorization of industries as Red, Orange, Green and White Category on 18.04.2016. Copy of said order is annexed as **Annexure-4.** As per said categorization, Building and Construction Projects having built up area of more than 20,000 square meter and having discharge of more than 100 KLD have been categorized under Red category and in case of discharge less than 100 KLD, they are categorized under Orange category. No individual construction with built-up area of more than 20,000 square meter has been found in above-mentioned villages.
- It is pertinent to inform you that Central Pollution Control Board has issued direction under Section 18(1)(b) of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 to expand list of green and white categories of industries incorporating new/left over industrial sectors. In pursuant to these directions, Uttar

Pradesh Pollution Control Board vide order dated 09.01.2019 has issued an order for incorporation of left out sectors. In said order, Building and Construction projects less than 5000 square meter built-up area and discharge less than 10 KLD have been categorized under White category. The said order also clarifies that industries listed under White category are exempted from obtaining consent from Board under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 if the unit satisfies the conditions enlisted in the said order. Copy of said order is annexed as **Annexure-5**.

B. Conclusion:

In view of above, the Regional Office, UPPCB, Greater Noida observed the shortcoming as mentioned above and action has been initiated. Report is being submitted for kind perusal and consideration please.

Yours Sincerely,


05/07/2024
(D.K. Gupta)

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board
Greater Noida.



196

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

363 / 144T-76/24

दिनांक :

4/7/24

नोटिस

सेवा में,

M/s Sahara Enclave,
Vill- Chhapraula, G.T. Road,
Near Harish Chandra ka Bagh,
Greater Noida.

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना का इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा श्री देवेश (सुरक्षा गार्ड) की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ग्राम छपरौला में रो-विला निर्माण हेतु मेसर्स सहारा एन्क्लेव (आवासीय कॉलोनी) के नाम से स्थल विकास कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी उद्योग/संस्थान/परियोजना इत्यादि की स्थापना से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियमान्तर्गत नियमानुसार सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर आवासीय परियोजना हेतु स्थल विकास कार्य किया जा रहा है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है। अग्रेतर यह भी अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड ऐसी गतिविधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संदर्भित अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुये वांछित सूचनाओं व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निर्माणाधीन परियोजना के विरुद्ध संदर्भित अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परियोजना एवं परियोजना के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

04/7/24
(डी0के0 गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

04/7/24
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

353/146-76/24

दिनांक :

4/7/24
नोटिस

सेवा में,

M/s Dwarika City,
(Promoter- M/s Bhagwati Developers)
Village- Chhapraula, G.T. Road,
Near Police Chauki, Greater Noida.

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना का इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा श्री प्रेम सिंह (साइट इंचार्ज) की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ग्राम छपरौला में पुलिस चौकी के समीप रो-विला निर्माण हेतु मेसर्स द्वारिका सिटी (आवासीय कॉलोनी) के नाम से स्थल विकास कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी उद्योग/संस्थान/परियोजना इत्यादि की स्थापना से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियमान्तर्गत नियमानुसार सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर आवासीय परियोजना हेतु स्थल विकास कार्य किया जा रहा है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है। अग्रेतर यह भी अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड ऐसी गतिविधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संदर्भित अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुये वांछित सूचनाओं व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निर्माणाधीन परियोजना के विरुद्ध संदर्भित अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परियोजना एवं परियोजना के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

[Signature]
04/7/24

(डी0के0 गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

[Signature]
04/7/24

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या : 359/144-76/24

दिनांक : 4/3/24
नोटिस

सेवा में,

M/s Escon Pride Villa,
(Promoter- M/s Escon Infra Ltd.)
Khasra No. 167, 168, Vill- Birondi,
Sector- Pi-1 & Pi-2, Greater Noida.

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना का इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा श्री मोहन शर्मा (साइट इंचार्ज) की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण दिनांक 04.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ग्राम बिरोंडी के खसरा सं० 167, 168, पर रो-विला निर्माण हेतु मेसर्स इस्कॉन प्राइड विला (आवासीय कॉलोनी) के नाम से स्थल विकास कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी उद्योग/संस्थान/परियोजना इत्यादि की स्थापना से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियमान्तर्गत नियमानुसार सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर आवासीय परियोजना हेतु स्थल विकास कार्य किया जा रहा है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है। अग्रेतर यह भी अवगत हों कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड ऐसी गतिविधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संदर्भित अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुये वांछित सूचनाओं व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निर्माणाधीन परियोजना के विरुद्ध संदर्भित अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परियोजना एवं परियोजना के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय
Kumar
04/7/24
(डी०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Kumar
04/7/24
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c



199

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कामप्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या : 358/147-76/24

दिनांक : 4/7/24

नोटिस

सेवा में,

M/s Trilok Puram Greens,
(Promoter- M/s Anolox Town Planner Pvt. Ltd.)
Khasra No. 47, 48, 49, 51, 52, 55 & 56, Vill- Gulistanpur,
Infront of Vill- Dewla, Greater Noida.

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना का इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा श्री संजीव सिंह (प्रोजेक्ट हेड) की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण दिनांक 04.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ग्राम गुलिस्तानपुर के Khasra No. 47, 48, 49, 51, 52, 55 & 56 पर रो-विला निर्माण हेतु मेसर्स त्रिलोक पुरम ग्रीन्स (आवासीय कॉलोनी) के नाम से स्थल विकास कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी उद्योग/संस्थान/परियोजना इत्यादि की स्थापना से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियमान्तर्गत नियमानुसार सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर आवासीय परियोजना हेतु स्थल विकास कार्य किया जा रहा है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है। अग्रेतर यह भी अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड ऐसी गतिविधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संदर्भित अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुये वांछित सूचनाओं व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निर्माणाधीन परियोजना के विरुद्ध संदर्भित अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परियोजना एवं परियोजना के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

[Signature]
04/7/24
(डी0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

[Signature]
04/7/24
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c



200

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या : 360/मएट-76/24

दिनांक : 4/7/24
नोटिस

सेवा में,

M/s P.P. Estate,
(Promoter- M/s Purushottam Estate)
Vill- Dhoom Manikpur, G.T. Road,
Greater Noida.

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना का इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा श्री कमल सिंह (सिक्वोरिटी इंचार्ज) की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण दिनांक 04.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ग्राम धूम मानिकपुर में रो-विला निर्माण हेतु मेसर्स पी0पी0 इस्टेट (आवासीय कॉलोनी) के नाम से स्थल विकास कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी उद्योग/संस्थान/परियोजना इत्यादि की स्थापना से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियमान्तर्गत नियमानुसार सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर आवासीय परियोजना हेतु स्थल विकास कार्य किया जा रहा है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है। अग्रेतर यह भी अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड ऐसी गतिविधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संदर्भित अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुये वांछित सूचनाओं व निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से स्थापना से पूर्व सहमति/अनापत्ति आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निर्माणाधीन परियोजना के विरुद्ध संदर्भित अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परियोजना एवं परियोजना के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

04/7/24

(डी0के0 गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

04/7/24

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारधीन ओ0ए0 नं0 329 / 2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में उल्लिखित ग्रामों में विकसित हो रही आवासीय कॉलोनियों, प्लॉट एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

क्र0सं0	गाँव का नाम	निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स	अभियुक्ति
1.	गाँव-सुत्याना, ग्रेटर नोएडा		गाँव सुत्याना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचर नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है।
2.	गाँव-कुलेसरा, ग्रेटर नोएडा		गाँव कुलेसरा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचर नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है।

PK

view

12

[Signature]

5.	गाँव-हैबतपुर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव हैबतपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है।</p>
6.	गाँव-शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव शाहबेरी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में सामूहिक आवासीय कॉलोनी पूर्व से ही विकसित है एवं लोग निवास कर रहे हैं।</p>
7.	गाँव-इटेहरा, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव इटेहरा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों</p>

OK

W.P.S.

14

[Signature]



		<p>द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
<p>8. गाँव- रोजा जलालपुर, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव रोजा जलालपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
<p>9. गाँव- रोजा याकुबपुर, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव रोजा याकुबपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय</p>

9/11/24

Wine

15

Signature


10.	गाँव- पतवाड़ी, ग्रेटर नोएडा		<p>प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p> <p>गाँव पतवाड़ी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
11.	गाँव-सदुल्लापुर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव सदुल्लापुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>

PK

vdvnc

✓


Signature

<p>12. गाँव-वैदपुरा, ग्रेटर नोरडा</p>		<p>गाँव वैदपुरा ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त कॉलोनी स्थल पर मजदूर के अतिरिक्त कोई अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि उपस्थित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है।</p>
<p>13. गाँव- मिलकलच्छी, ग्रेटर नोरडा</p>		<p>गाँव मिलकलच्छी ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु प्लाटिंग की गयी है। निरीक्षण के समय कोई भी निर्माण कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में आवासीय कॉलोनी विकसित किये जाने हेतु प्लाटिंग की गयी है।</p>

श.क.

Views

M

14.	गाँव-सैनी, ग्रेटर नोरडा		<p>गाँव सैनी ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त कॉलोनी स्थल पर मजदूर के अतिरिक्त कोई अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि उपस्थित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है।</p>
15.	गाँव-खैरपुर गुर्जर, ग्रेटर नोरडा		<p>गाँव खैरपुर गुर्जर ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचर नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
16.	गाँव-खेड़ा चौगानपुर, ग्रेटर नोरडा		<p>गाँव खेड़ा चौगानपुर ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक</p>

BK

WPC

WPC



17.	गाँव-हबीबपुर, ग्रेटर नोएडा	 <p>आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचर नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
18.	गाँव-सुनपुरा चौगानपुर, ग्रेटर नोएडा	 <p>गाँव हबीबपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है।</p> <p>गाँव सुनपुरा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु प्लानिंग की गयी है। निरीक्षण के समय कोई भी निर्माण कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया</p>

Ok

Vijay

h




		<p>गया कि उक्त ग्राम में आवासीय कॉलोनी विकसित किये जाने हेतु प्लानिंग की गयी है, कुछ प्लॉटों पर निर्माण कार्य किया गया था, जिसे प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।</p>
<p>19. गाँव-खेड़ी भनौता, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव खेड़ी भनौता ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
<p>20. गाँव-खोदना खुर्द, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव खोदना खुर्द ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड</p>

OK

VWS

✓



			<p>स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
21.	<p>गाँव- श्याँराजपुर, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव श्याँराजपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है।</p>
22.	<p>गाँव- मायंवा, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव मायंवा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>



views





23.	गाँव- अजायबपुर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव अजायबपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय अजायबपुर रेलवे लाइन के निकट आवासीय मकान के निर्माण हेतु प्लानिंग की गयी है। निरीक्षण के समय कोई भी निर्माण कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय निवासियों द्वारा अवगत करया गया कि उक्त ग्राम में आवासीय मकान विकसित किये जाने हेतु प्लानिंग की गयी है।</p>
24.	गाँव- ज़ाबरा, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव ज़ाबरा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत करया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>

OK

views

M

[Signature]

25.	गाँव- डाढ़ा, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव डाढ़ा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचर नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
26.	गाँव- बिरोन्डी, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव बिरोन्डी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सामूहिक आवासीय कॉलोनी मेसर्स इस्कॉन इन्फ्रा लि0 द्वारा खसरा नं0 167, 168, ग्राम बिरोन्डी, ग्रेटर नोएडा पर विकसित की जा रही है।</p>



Wiver

W



27. गाँव- बिरोन्डा, ग्रेटर नोरखा		<p>गाँव बिरोन्डा ग्रेटर नोरखा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
28. गाँव- घोड़ी बछेड़ा, ग्रेटर नोरखा		<p>गाँव घोड़ी बछेड़ा ग्रेटर नोरखा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>

PK

Wiser

M

Sh

29.	गाँव- लखनावली, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव लखनावली ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>
30.	गाँव- तिलवाड़ा, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव तिलवाड़ा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होती हुई दृष्टिगोचित नहीं हुई। निरीक्षण के समय गाँववासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है एवं गाँव के भूखण्ड स्वामियों द्वारा स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निर्माण किया जाता है।</p>

SK

विवर

12

[Signature]

31.	गाँव- देवला के सामने ग्राम-गुलिस्तानपुर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव गुलिस्तानपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय ग्राम-गुलिस्तानपुर, ग्रेटर नोएडा के खसरा सं0 47, 48, 49, 51, 52, 55 व 56 पर मेसर्स त्रिलोकपुरम ग्रीन्स नामक आवासीय कॉलोनी विकसित होती पायी गयी, जिसके प्रमोटर्स मेसर्स एनार्लॉक्स टाउन प्लानर प्रा0लि0 अवगत कराया गया। उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 94150 वर्ग मीटर तथा उक्त के अन्तर्गत 150 आवासीय प्लॉट स्थित होना अवगत कराया गया।</p>
32.	गाँव- तिलपता करनवास, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव तिलपता करनवास ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्लॉट क्रय कर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके फलस्वरूप गाँव के क्षेत्र में बन्दना वाटिका, डेफेन्स एम्पायर,</p>

PK

vishw

PK

PK

33.	गाँव- रूपवास, ग्रेटर नोएडा	<p>श्री गणेश वाटिका इत्यादि नाम से नवीन कॉलोनी विकसित हो गई है।</p> <p>गाँव रूपवास, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी व्दानर</p>
34.	गाँव- आमका, ग्रेटर नोएडा	<p>गाँव आमका ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी व्दानर</p>


Vivian

		<p>के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्लाट क्रय कर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके फलस्वरूप गांव के क्षेत्र में डिफेन्स पैराडाईज, अज्ञात नाम, मित्रा इन्क्लेव, श्री श्याम इन्क्लेव, द्वारिका इन्क्लेव, पैराडाईज ड्रीम सिटी-2, डिफेन्स कॉलोनी फेज-2 इत्यादि नाम से नवीन कॉलोनी विकसित हो रही है।</p>
<p>35. गाँव- धूममानिकपुर, ग्रेटर नोरडा</p>	 	<p>गाँव धूममानिकपुर ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में मै0 पी0पी0 इस्टेट नामक सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सामूहिक आवासीय कॉलोनी का विकास कार्य मै0 पुरुषोत्तम इस्टेट द्वारा किया जा रहा है।</p>
<p>36. गाँव- दुजाना, ग्रेटर नोरडा</p>	 	<p>गाँव दुजाना ग्रेटर नोरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि</p>

SK

Wives
PN

SK


		<p>उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किस्सी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्लॉट क्रय कर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके फलस्वरूप गाँव के क्षेत्र में महक इको सिटी नामक नवीन कॉलोनी विकसित हो रही है।</p>
<p>37. गाँव- खेड़ा धरमपुर, ग्रेटर नोरखा</p>		<p>गाँव खेड़ा धरमपुर ग्रेटर नोरखा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्लॉट क्रय कर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके फलस्वरूप गाँव के क्षेत्र में रॉयल सिटी, वायु इन्वलेव नामक नवीन कॉलोनी विकसित हो रही है।</p>

OK

visit

W

[Signature]

<p>38. गाँव- छपरौला ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव छपरौला ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव के क्षेत्रान्तर्गत मै0 द्वारका सिटी, निकट पुलिस चौकी एवं मै0 सहारा इन्चलेव, निकट हरिशयान्द्र का बागा नामक सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 द्वारका सिटी का विकास कार्य मै0 भगवती डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है। सहारा इन्चलेव के डेवलपर का नाम निरीक्षण के दौरान किसी प्रतिनिधि द्वारा अवगत नहीं कराया गया।</p>
<p>39. गाँव- अच्छेजा, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव अच्छेजा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्लान्ट क्रय कर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण</p>

OK

views

12

		<p>किया गया है, जिसके फलस्वरूप गांव के क्षेत्र में ग्रीन पार्क सिटी नामक नवीन कॉलोनी विकसित हो रही है।</p>
<p>40. गाँव- माच्छा डेरीन, ग्रेटर नोएडा</p>		<p>गाँव माच्छा डेरीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्लॉट क्रय कर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके फलस्वरूप गांव के क्षेत्र में राधा गोविन्द इन्क्लेव, जे0एम0डी0 चित्रा रेजीडेन्सी, जे0डी0एस0 साईं वाटिका, गणेश वाटिका, ध्रुव इन्क्लेव, मॉडर्न रेलवे सिटी-2, नील कन्ट वाटिका नामक नवीन कॉलोनीयां विकसित हो रही है।</p>

OK

views

[Signature]

[Signature]


41.	गाँव- गिरधरपुर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव गिरधरपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण</p>
42.	गाँव- डेरिन सकनेर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव डेरिन सकनेर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों से पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण</p>

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

			<p>किया गया है, जिसके फलस्वरूप गांव के क्षेत्र में शिव गौरी सोसाइटी नामक नवीन कॉलोनी विकसित हो रही है।</p>
43.	गाँव- बोडाकी, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव बोडाकी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप गांव के क्षेत्र में नवीन कॉलोनी विकसित हो रही है।</p>
44.	गाँव- बील अकबरपुर, ग्रेटर नोएडा		<p>गाँव बील अकबरपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है। गाँव के किसानों</p>

OK

विवेक

W

शिव

		द्वारा अपने खेतों पर स्वयं के प्रयोजनार्थ मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके फलस्वरूप गांव के क्षेत्र में नवीन न्यू बस्ती कॉलोनी विकसित हो रही है।
45.	गाँव- बादलपुर ग्रेटर नोएडा	गाँव बादलपुर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है।
46.	गाँव- जॉन समाना ग्रेटर नोएडा	गाँव जॉन समाना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है।
47.	गाँव- चिपियाना ग्रेटर नोएडा	गाँव चिपियाना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। निरीक्षण के समय उक्त गाँव में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य होता हुआ दृष्टिगोचित नहीं हुआ। निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम में कोई सामूहिक आवासीय कॉलोनी किसी प्लानर के द्वारा विकसित नहीं की जा रही है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी


05/07/2024
(सुशील कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियंता


05/07/24
(विवेक कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियंता




05/07/24
(रणजीत सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियंता


05/07/2024
(सत्य विजय)


05/07/2024

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी. सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ


संख्या-  / C-2 / सामान्य नोटिस-347/2016 दिनांक- 

समस्त नियंत्रक अधिकारी,
"बोर्ड" मुख्यालय/
समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/
समस्त क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दिनांक-29 मार्च, 2016 को सम्पन्न बोर्ड की 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.04 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-18(1) (बी) के अंतर्गत सभी औद्योगिक इकाईयों को लाल श्रेणी/नारंगी श्रेणी/हरी श्रेणी/सफेद श्रेणी में विभाजित करने हेतु पारित आदेश दिनांक 07-03-2016 के अनुपालन में श्रेणीवार व्यवस्था को बोर्ड में अंगीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित उक्त प्रस्ताव की छायाप्रति, सूची सहित इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि वर्णित उक्त निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।


(एस० सी० यादव)
सदस्य सचिव

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र०शासन के निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
- 3- श्री प्रदीप शर्मा, वेब मास्टर को सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 4- गार्ड फाईल।



(एस०आर० सदान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा०)

Table G-1: Final Summary Table Red , Orange, Green and White Categories of Industries (16-01-16)

SI No.	Original Categorization	Initial Nos.	Addition by Splitting into further classes	Deletion/ Shifting to foot-note due to vague term / Merger / other reasons	Re-categorization to Red	Re-categorization to Orange	Re-categorization to Green	Re-categorization to White	Check
					1	2	3	4	
									(1+2) = (3 to 7)
1	Red	85	11	7	60	26	3	Nil	96=96
2	Orange	73	2 ²	3	Nil	51	19	2	75=75
3	Green	86	Nil	3+2=5	Nil	6	41	34	86=86
Final Categorization		244	13	15	60 (Red)	83 (Orange)	63 (Green)	36 (White)	257 =257 (Total categories including in foot-note)

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
TC-12V, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LUCKNOW

Ref. No. G 29267 / C-4 / SATO 62 / 2019

Date- 09/01/19

Pursuant to the modified direction under section- 18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under RED/ORANGE/GREEN/WHITE categories vide letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16 Dated 07-03-2016 circulated final report on revised categorization of industrial sectors under RED/ORANGE/GREEN/WHITE has been evolved on the basis of range of Pollution Index . 'Categorization' is based on the relative pollution potential of the industrial sectors and grouping of the industrial sectors based on the use of raw materials, manufacturing process adopted and pollutants likely to be generated.

- o Industrial Sectors having Pollution Index Score of 60 and above - Red category
- o Industrial Sectors having Pollution Index Score of 41 and 59 - Orange category
- o Industrial Sectors having Pollution Index Score of 21 and 40 - Green category
- o Industrial Sectors having Pollution Index Score of incl. & up to 20 - White category

Whereas based on relative Pollution Index, the number of industries in various categories are as under-

- i. The Red category of industrial sectors: 60
- ii. The Orange category of industrial sectors: 83
- iii. The Green category of industrial sectors: 63 and
- iv. The Newly introduced White category: 36

Further CPCB issued direction under section- 18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide its letter no. B-29012/MSMEs/IPC-VI/2017-18/ 12189-12230 dated 02.11.2018 that "SPCBs/PCCs shall issue the expanded list of green and white categories of industries incorporating new/left over industrial sectors, which are being operated in their State/UT within a month "

FTW

Incompliance of the directions a committee of Senior Engineers and Scientist of UPPCB was constituted and identification of new Green and White industrial sectors which do not fall under any of the above Green and White categories has been done and sent to CPCB vide letter dated 12.12.2018. Member Secretary, CPCB has emphasized vide its letter no. 29012/IPC-VI/2018-19 dated 04.01.2019 that further action of expansion of the list is to be carried out by UPPCB itself. Hence the identified list of Green category-28 industrial sectors and White category-156 industrial sectors have been identified and being presented in table- I & II respectively (given below) :-

Table- I, Green Category Left out sectors in the CPCB categorization.

S. No.	Industry Sector	W1	W2	W	A1	A2	A	H	W+A+H	Tentative Category	REMARKS
1	Gas Genset of capacity > 1 MVA but < 5 MVA	--	--	--	10	--	10	--	25	G	DG set of capacity > 1 MVA but < 5 MVA has been scored 20 in A1 (i.e. A1C) in CPCB categorization, while a score of A1 to be 10 (i.e. A1E) in case of gas generator is provided and accordingly may be categorised in Green category.
2	Bakery and confectionery units with production capacity > 1 TPD. (With gas based ovens / furnaces or based on electricity)	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
3	Chanachur and ladoo from puffed and beaten rice(muri and shira) using Gas fired / electric oven	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
4	Flakes from rejected PET bottle using gas as fuel	21	--	20	10	--	10	--	37.5	G	

Handwritten signature

5	Food and Food processing including fruits and vegetable processing based on gas based boiler	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	Normal Water and Air polluting. Boilers based on fuel other than gas have been scored 15 in A1 (i.e. A1D), while for gas boilers it is 10 i.e. A1E.
6	Manufacturing of tooth powder, toothpaste, talcum powder and other cosmetic items based on gas boiler	20	--	20	10	--	10	--	37.75	G	
7	Synthetic detergent and using formulation only, not manufacturing LABSA	--	--	--	15	--	15	--	37.75	G	
8	Ayurvedic and homeopathic medicine based on gas fuel	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
9	Ceramics and refractories based on gas fuel	--	--	--	10	--	10	--	25	G	
10	Dairy and dairy products (small scale) having gas based boiler	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
11	Fish food, poultry feed and cattle feed Mixing Only	--	--	--	10	--	10	--	25	G	
12	Ice Cream based on gas fuel boiler	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
13	Modular wooden furniture from particle board, MDF < swan timber etc, Ceiling tiles/ partition board from saw dust, wood chips etc., and other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making (With gas based boiler)	--	--	--	10	--	10	--	25	G	
14	Paint blending and mixing (Ball mill) vessel mixing (No washing)	--	--	--	15	--	15	--	37.5	G	
15	Industry or processes involving foundry	--	--	--	10	--	10	--	25	G	

to 11

	operations (based on gas as fuel)										
16	Small Petha manufacturing units based on coal/ coke/ wood/ gas as fuel	12	--	12	--	--	--	--	30	G	Industries in which the daily consumption of coal/ coke/ wood/ gas is less than 12 MT/day
17	Restaurant (□ 36 seating capacity) having gas fired Tandoor	12	--	12	--	--	--	--	30	G	This score is applicable for restaurants having discharge less than 10 KLD
18	Manufacturing of tooth powder, toothpaste, talcum powder and other cosmetic items based on gas as fuel	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G	
19	Aluminium & copper extraction from scrap using gas fired furnace (dry process only)	--	--	--	10	--	10	10	33.5	G	Air pollution score for gas fired furnace is 10 (i.e. A1E)
20	Ferrous and Non-ferrous metal extraction involving different furnaces through melting, refining, re-processing, casting and alloy making based on gas as fuel	--	--	--	15	--	15	--	33.5	G	1- This categorisation is applicable for secondary production of ferrous & nonferrous metals (excluding lead) up-to 1 MT/hour production. 2- This categorisation is valid for units having Coal/fuel/gas less than 12 MT/day. 3- This categorisation is not valid for lead metal extractions. 4- This categorisation is not valid for AOD furnaces.

to 12

21	Ply-board manufacturing(including Veneer and laminate) with gas fired boiler/ thermic fluid heater (without resin plant)	--	--	--	10	--	10	--	25	G
22	Rolling mill (oil or coal fired) and cold rolling mill	10	--	10	10	--	10	--	25	G
23	Hotels (up to 20 rooms and without boilers) and having waste water generation < 10 KLD and no hazardous waste generation	12	--	12	--	--	--	--	30	G
24	Steam calendaring /zero finishing/ centering etc. (without washing process or having gas fired boiler)	--	--	--	10	--	10	--	25	G
25	Hosiery/ Garment manufacturing with washing only (without bleaching and dying) with discharge less than 10 KLD and is connected to public sewer	12	--	12	--	--	--	--	30	G
26	Stand alone sand /shot blasting with inbuilt bag filter	--	--	--	10	--	10	--	25	G
26	Washing and cleaning of seeds eg. Sesame using gas fired boiler upto 12 MT/hr	20	--	20	10	--	10	--	37.5	G
27	Manufacturing of Sodium Silicate using gas fired furnace	--	--	--	10	--	10	--	25	G
28	Bedded HCE's having beds less than 30 and discharge less than 10 KLD and connected to Public sewer leading to STP and not having no laundry	12	--	12	--	--	--	--	30	G

Polin

Table-II, WHITE CATEGORY Left out sectors in the CPCB categorization.

Sl No	Industry Sector	W1	W2	W	A1	A2	A	H	W+A+H	Tentative Category
1	All types of toys & Doll making electrical without wet process.									W
2	Aluminium, Stainless Steel, Brass Vessel marking units having only process, spinning without use of buffing, polishing and pickling, washing, Hot/Cold rolling annealing furnace and anodizing processes.									W
4	Bee keeping									W
5	Belt Fastner units without wet process									W
6	Bio-gas									W
7	Biscuits, Pastries, Cakes, Confectionery, Bread, Bakery upto 100 kg/day									W
8	Black smithy shop									W
9	Book Binding									W
10	Candle manufacture									W
11	Chewing Tobacco packing									W
12	Coated electrode manufacturing									W
13	Dairy farming (Rural Area focal point periphery of ½ K.M.)									W
14	DPC coating of copper and aluminium weir without any wet process									W
15	Dry Grinding of spices									W
16	Embroidery									W
17	Fabrication units connected with animal drawn vehicles, trailers without any heat treatment, furnace use i.e. with no emissions.									W

PLW

90	Manufacturing of bidi, cigar, charoot, zarda, chewing tobacco, allied products (manually)									W
91	Paper stamp, paper cones, paper napkins Paper Pins, 'U' Clips, pen Holders, Paper product, stationary, cone, cups, saucers, plates, envelope, dolls, toys, printing and publishing of books, computer stationary, card printing (only dry process)									W
92	Washing powders (manual mixing)									W
93	Wooden carpentry work, doors, windows, frame boxes, packing cases and furniture, fixtures, trays, rolls structural and allied products									W
94	Niwar tape, lade and other yarn products (weaving only)									W
95	Sheet metal fabrication									W
96	Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only)									W
97	Belts, nuts, acrown (machining only)									W
98	Balances (assembling)									W
99	Steel furniture, sofas, vaults, almirahs, trunk, drum, tanks, container, rolling shutters (sheet metal work)									W
100	Electric motors & alternators (assembling work)									W
101	Calculating machine and computers (assembling)									W
102	Bags, briefcase / suitcase, beddings, purse, belts (stiching)									W

FTI

**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
TC-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW**

Ref. No. 157070 /C-4/SA-62/2021


Date- 27-2-2021

Pursuant to the modified direction under section-18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of Industrial sectors under RED/ORANGE/ GREEN/ WHITE category vide letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated 07-03-2016 circulated final report on revised categorization of industrial sectors under RED/ORANGE/GREEN/ WHITE has been evolved on the basis of range of Pollution Index. 'Categorization' is based on the relative pollution potential of the industrial sectors and grouping of the industrial sectors based on the use of raw materials, manufacturing process adopted and pollutants likely to be generated.

Further, In compliance to the Hon'ble NGT order dated 05.10.2020 in the matter of OA no.-214/2020 Dr. Sharad Gupta Vs Centre Pollution Control Board and others. A dispute was raised in White category at Serial No.- 18 uploaded on the Board's website vide this office letter no.- G29267/C-4/SA-62/2019 dated 09.01.2019. The white category list of left out sectors of CPCB list, prepared by UPPCB was re-examined and following clarification has been made in the previous list at different Serial Nos. which are as under:-

S.No	Industry Sector (Old)	Industry Sector (New)	Tentative Category
7.	Biscuits, Pastries, Cakes, Confectionery, Bread, Bakery upto 100 kg/day	Biscuits, Pastries, Cakes, Confectionery, Bread, Bakery upto 100 kg/day (Using LPG/Electric oven)	White
8.	Black smithy shop	Black smithy shop (Using LPG only)	White
10.	Candle Manufacture	Candle Manufacture (Using LPG only)	White
13.	Dairy farming (Rural Area focal point periphery of ½ K.M.)	Dairy farming (Less than 15 Milching animals)	White
18.	Finished leather goods, conversion of finished without wet process.	Leather footwear and leather products (excluding tanning, wet process and use of adhesive)	White
118.	Wheat and paddy threshers	Wheat and Paddy threshers (seasonal use in harvesting field only)	White

Note- All the conditions mentioned vide earlier office order dated G29267/C-4/SA-62/2019 dated 09.01.2019 will remain unchanged.



(Ashish Tiwari)
Member Secretary

Note No.1: The exemption from obtaining consent of the Board under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Hazardous Waste Management Rules, 2016 for the above mentioned 156 White Category of industries, if the unit satisfies the following conditions:-

- i) That the industry is established/being established in the demarcated Industrial Estates/Zones classified by the State Authorities viz UPSIDC, Department of Industries, Avas Vibhag under draft Master Plan or in mixed category area of predominantly Industrial areas within Municipal limit or a Town/City after classification of the area by other concerned Departments.
- ii) That the investment of the industry is not more than Rs. 5 Crore on plant and machinery.
- iii) That there will not be any discharge of trade effluent from the industry into stream or well or sewer or onto land and/or that industry will not discharge any air pollution including noise into the atmosphere.
- iv) That the industry will not discharge any toxic/hazardous wastes and will not handle any toxic/hazardous chemical.
- v) All such units identified as "Producers" under the provisions of The Plastic Waste Management Rules, 2016 i.e. that is persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity shall comply with "Extended Producer's responsibility for environmentally sound management of the product until the end of his life.

In case industry is found to create conditions that generate any type of pollution or if there is any objection from the surrounding community and if on verification, it is found that such objection has some substance, the Board shall be at liberty to take legal action against the industry under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 or Environment (Protection) Act, 1986 as considered appropriate.

Note No.2: The industries which falls under white category of industries and have installed DG set of capacity more than 15 KVA and less than 1 MVA, such industries shall obtain consent only for the DG set under green category.


(Ashish Tiwari)

Member Secretary